भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 2352
उत्तर देने की तारीख : 06.08.2024

दिव्यांगजन

2352. श्रीमती कमलजीत सहरावत:
श्री तेजस्वी सूर्या:
श्री विनोद लखमशी चावड़ा:
श्री गोपाल जी ठाकुर:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ग) सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के उत्थान के लिए की गई पहल और प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन्हें कितनी योजनाओं में शामिल किया गया है और उनके लिए कुल कितनी वित्तीय सहायता स्वीकृत, निर्धारित और उपयोग की गई है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) और (ग) सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 को अधिनियमित किया जो 19.04.2017 से प्रभावी हुआ था। दिव्यांगताओं की संख्या 7 से बढ़ाकर 21 कर दी गई है। उक्त अधिनियम में दिव्यांगजनों को अधिकार और हकदारियां प्रदान की गई हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ समानता, गैर-भेदभाव, क्रूरता, शोषण से संरक्षण, परिवार और समुदाय के साथ रहने का अधिकार, न्याय तक पहुंच, मतदान में पहुंच, कानूनी क्षमता, कानूनी संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास, कला, खेल, मनोरंजन, संस्कृति और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी का अधिकार शामिल है।

उक्त अधिनियम की धारा 34 बेंचमार्क (40% या उससे अधिक दिव्यांगताओं वाले) दिव्यांगजनों को सरकारी रोजगार में 4% आरक्षण प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम की धारा 32 में सरकारी अथवा सरकारी सहायता प्राप्त उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में बेंचमार्क दिव्यांगजनों के लिए 5% आरक्षण का प्रावधान है। इसके अलावा, उक्त अधिनियम की धारा 37 बैंचमार्क दिव्यांगजनों के लिए गरीबी उपशमन और विकासात्मक योजनाओं में 5% आरक्षण सुनिश्चित करती है।

यद्यपि, भारत के संविधान की राज्य सूची की प्रविष्टि 9 के आधार पर दिव्यांगजनों को राहत राज्य का विषय है, तथापि, केंद्र सरकार अपनी प्रमुख योजनाओं नामतः सहायक यंत्रों और सहायक उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता (एडिप), दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (सिपडा) के कार्यान्वयन की योजना तथा दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) और छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों में उनकी सहायता करती है।

(ख) आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 19 (2) में दिव्यांगजनों को सभी मुख्यधारा की औपचारिक और अनौपचारिक व्यावसायिक एवं कौशल प्रशिक्षण योजनाओं और कार्यक्रमों में शामिल करने का प्रावधान है। विभाग दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी-एसडीपी) कार्यान्वित कर रहा है ताकि दिव्यांगजनों के कौशल को बढ़ाया जा सके जिससे उन्हें लाभकारी रोजगार मिल सके और वे समाज के आत्मनिर्भर और उत्पादक सदस्य बन सकें। यह योजना मार्च, 2015 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत, देश भर में सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से दिव्यांगजनों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

इसके अलावा, विभाग ने एनएपी-एसडीपी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सितंबर 2023 को पीएम-दक्ष-डीईपीडब्ल्यूडी पोर्टल का शुभारंभ किया। यह पोर्टल कौशल प्राप्त करने और रोजगार की आवश्यकता वाले दिव्यांगजनों तथा प्रशिक्षण संगठनों, और दिव्यांगजनों के नियोक्ता/नौकरी देने वाले समूहों के लिए वन-स्टॉप डिजिटल गंतव्य है। इस पोर्टल के तहत, निम्नलिखित दो मॉड्यूल हैं:-

(i) दिव्यांगजन कौशल विकास: देश भर में इस पोर्टल के माध्यम से दिव्यांगजनों के लिए कौशल प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है।

(ii) दिव्यांगजन रोजगार सेतु: यह मंच दिव्यांगजनों और उनके लिए नौकरी देने वाले नियोक्ताओं के बीच एक सेतु है । यह मंच पूरे भारत में दिव्यांगजनों के बारे में और साथ ही साथ निजी कंपनियों में रोजगार/आय अर्जन के अवसरों के संबंध में जियो-टैग आधारित जानकारी प्रदान करता है।

इसके अलावा, विभाग ने दिव्यांगजनों के लिए रोजगार अवसरों के सृजन और उसे बढ़ाने के लिए अमेजन, यूथ4जॉब्स, ए टिपिकल एडवांटेज वोल्वो, नियोमोशन जैसी विभिन्न कंपनियों/नौकरी देने वाले समूहों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए।

इस योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान 14263 दिव्यांगजन लाभान्वित हुए।

(घ) यद्यपि, भारत के संविधान की राज्य सूची की प्रविष्टि 9 के आधार पर दिव्यांगजनों को राहत राज्य का विषय है, तथापि केन्द्र सरकार अपनी निम्नलिखित प्रमुख योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है :-

(i) **सहायक यंत्रों और सहायक उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता (एडिप):** एडिप योजना के तहत, दिव्यांगजनों को टिकाऊ, परिष्कृत और वैज्ञानिक रूप से विनिर्मित, आधुनिक, मानक सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद में सहायता करने के लिए विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियां जारी की जाती हैं ताकि पूरे देश में दिव्यांगजनों की दिव्यांगताओं के प्रभाव को कम करके और उनकी आर्थिक क्षमता को बढ़ाकर उनके शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास को बढ़ावा दिया जा सके। पिछले तीन वर्षों के दौरान, इस योजना के तहत 880238 दिव्यांगजन लाभान्वित हुए ।

(ii) **दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए योजना (सिपडा):** इस योजना के तहत, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के लिए राज्य सरकारों को, और केंद्र या राज्य सरकार के तहत स्वायत्त संगठनों/संस्थानों/विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को सहायता प्रदान की जाती है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन की योजना (सिपडा) के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं :-

(क) दिव्यांगजनों के लिए बाधा मुक्त वातावरण का निर्माण

(ख) कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना

(ग) सुगम्य भारत अभियान (एआईसी)

(घ) विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र

(iii) **दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस):-** इस योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों के पुनर्वास से संबंधित परियोजनाओं का संचालन करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है, जिसका उद्देश्य उन्हें अपने इष्टतम शारीरिक, संवेदी, बौद्धिक, मानसिक या सामाजिक कार्यात्मक स्तरों तक पहुंचने और उसे बनाए रखने में, उन्हें सक्षम बनाना है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, इस योजना के अंतर्गत 96,111 दिव्यांगजन लाभान्वित हुए।

(iv) **दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं:** इस योजना के अंतर्गत, सरकार दिव्यांग छात्रों को प्रीमैट्रिक (कक्षा IX तथा X के लिए), पोस्ट-मैट्रिक (कक्षा XI से स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा स्तर तक), उच्च श्रेणी शिक्षा (अधिसूचित संस्थानों में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा), नेशनल फेलोशिप (एमफिल और

पीएचडी पाठ्यक्रम), नेशनल ओवरसीज़ छात्रवृत्ति (विदेश में स्नातकोत्तर स्तर/डॉक्टरेट स्तर की शिक्षा के लिए) जैसी छात्रवृत्तियां प्रदान करती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, इस योजना के अंतर्गत 1,12,345 दिव्यांगजन लाभान्वित हुए।

इसके अलावा, पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान इस विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत जारी की गई निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(राशि करोड़ रु. में)

वर्ष	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24
योजना	वास्तविक व्यय (एई)	वास्तविक व्यय (एई)	वास्तविक व्यय (एई)
एडिप	198.69	242.29	290.60
सिपडा	108.44	65.66	76.79
डीडीआरएस	100.89	114.69	129.97
छात्रवृत्ति	120.25	145.00	130.46

****